का कोई प्रमाण नही मिल सका। श्री मॉर्गन के अनुसार कामाचार की अवस्था के पश्चात् समूह-विवाह का विकास हुआ था। इस प्रकार के विवाह मे एक परिवार के सब भाइयो का विवाह दूसरे परिवार की सब बहनो के साथ हुआ करता था जिसमे प्रत्येक पुरुष सभी स्त्रियो का पति होता था और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषो की पत्नी होती थी। **तीसरी अवस्था** मे एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होता तो था, पर उसी परिवार मे ब्याही हुई स्त्रियो के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतन्त्रता प्रत्येक पुरुष को रहती थी। **चौथी अवस्था** मे, श्री मॉर्गन के अनुसार, पुरुष का ही एकाधिपत्य होता था और इसलिये वह अपनी इच्छानुसार एकाधिक स्त्रियो से विवाह करता था और उन सबके साथ यौन-सम्बन्ध रखता था। एक विवाह की स्थिति इस अवस्था के बाद आयी है।

श्री बैकोफन (Backofen) के अनुसार भी आदिकाल मे विवाह नामक कोई सस्था स्पष्ट नही थी। फलत यौन-सम्बन्ध स्थापित करने का कोई निश्चित नियम नही था। इसके बाद जनसख्या के बढने के साथ-साथ दरिद्रता तथा कमी (scarcity) भी बढने लगी और लडकियो के वध की प्रथा शुरू हुई जिससे समाज मे स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषो की सख्या अधिक हो गई। फलत बहुपति-विवाह का जन्म हुआ। इसके बाद खेती मे उन्नति होने से परिवार मे स्थायी श्रमिको के रूप मे स्त्रियो की आवश्यकता बढी और पुरुष भी अपने ऐशोआराम के लिए अधिक पत्नियाँ रखने मे समर्थ हुए जिससे बहुपत्नी-विवाह का जन्म हुआ। अन्त मे नैतिक विचारो मे विकास होने पर और स्त्रियो द्वारा समान अधिकार की माग होने पर एक-विवाह की प्रथा चली। **श्री वेस्टरमार्क** (Westermarck) ने उपरोक्त सिद्धान्तो की कटु आलोचना करते हुए अपने एक विवाह के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया। आपके अनुसार यौन-सम्बन्धो की स्वतन्त्रता, बहुपति या बहुपत्नी-विवाह केवल सामाजिक नियमो के क्षणिक उल्लघन मात्र हैं, स्थायी रूप तो एक विवाह ही है। ऊँचे और नीचे सभी प्रकार के समाजो मे एक-विवाह ही मिलता है, यहाँ तक कि चिडियो, पशुओ, वनमानुपो आदि मे भी एक विवाह ही मिलता है। श्री मैलिनोवस्की (Malinowski) ने श्री वेस्टरमार्क का समर्थन करते हुए लिखा है कि "एक-विवाह ही विवाह का एकमात्र सत्य रूप है, रहा है और रहेगा।"

साराश यह है कि विवाह का स्वरूप प्रत्येक समाज मे एक ही रहा है, इस तथ्य की पुष्टि मे प्रमाण प्रस्तुत करना उतना ही कठिन है जितना कि यह प्रमाणित करना कि आदि काल मे कामाचार की अवस्था थी। परन्तु यौन-सम्बन्धो को नियमित व स्थिर करने, परिवार को स्थायी रूप देने, आर्थिक सहयोग का विकास करने तथा बच्चो के लालन-पालन की एक सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये विवाह की सस्था का जन्म हुआ है, इस तथ्य के पक्ष मे प्राय. सभी समाजो से, चाहे वह अति आदिम समाज हो या अति आधुनिक, अनेक प्रमाणों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये विवाह, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, हमेशा ही था और रहेगा।